

**Council of Scientific and Industrial Research  
Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi**

No.8-6(2)/2014-Security


Mar 23, 2015

**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub: Introduction of Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) in CSIR HQ – Organising Special Aadhaar Enrollment Camps (AECs) for staff of CSIR HQ and Divisions thereunder**

Attention is invited to the OM dated 9 Feb. 2015 directing staff members to provide their Aadhaar details in the specified proforma.

2. Action has been initiated with UIDAI for organizing Special AECs for the benefit of those employees who are yet to get enrolled with Aadhaar.
3. Such of those employees who are yet to provide their details to the Nodal Officer-AEBAS are therefore directed to submit the same by Mar 31, 2015 so that further steps with regard to implementation of AEBAS in CSIR are completed as early as possible.
5. This issues with the approval of the Competent Authority.

  
YK Sharma  
Sr DS (CO)

**All Officers in the CSIR HQ/HRDG/HRDC/RAB/ESD/IPU**

Copy to:  
All Heads of Division including HRDG/ESD/RAB/IPU  
US, Office of DG CSIR  
PA to JS(A)/FA/CVO  
Office Copy



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110001

सं. 8-6(2)/2014-सुरक्षा


दिनांक: मार्च 23, 2015

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: सीएसआईआर मुख्यालय में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएस) की शुरुआत- सीएसआईआर मुख्यालय और इसके प्रभागों के स्टाफ हेतु विशेष आधार नामांकन कैम्प (एईसी) का आयोजन**

दिनांक 09 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जिसमें स्टाफ सदस्यों को अपने आधार संबंधी विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया गया था ।

2. जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, उनके लाभार्थ विशेष 'आधार नामांकन कैम्प' के आयोजन हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।
3. ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने अभी तक अपना आधार संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं किया है निदेश दिया जाता है कि वे अपना विवरण नोडल अधिकारी-एईबीएस को 31 मार्च, 2015 तक प्रस्तुत करें ताकि सीएसआईआर में एईबीएस के कार्यान्वयन हेतु शीघ्रातिशीघ्र आगे की कार्रवाई की जा सके ।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(वाई के शर्मा)

वरि. उप सचिव(कै.का.)

सीएसआईआर मुख्यालय/एचआरडीजी/एचआरडीसी/आरएबी/ईएसडी/आईपीयू के सभी अधिकारीगण

प्रतिलिपि:

एचआरडीजी/ईएसडी/आरएबी/आईपीयू सहित सभी प्रभागों के प्रमुख  
महानिदेशक, सीएसआईआर कार्यालय के अवर सचिव  
संयुक्त सचिव (प्रशा.) / वित्त सलाहकार/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव  
कार्यालय प्रति ।